तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21.6.19	वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र जवाब हेतु एक अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते- प्रार्थना पत्र जवाब हेतु दिनांक 28.6.19 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)
28.6.19	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय [illegible] कार्य में व्यस्त है। इलत्वा होकर पत्रावली दिनांक 12.7.19 को पेश है।
12.7.19	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील विप्रार्थी अनुपस्थित। वकील विप्रार्थी के हाजिर नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि वादीनी की ओर से माननीय न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 RT Act के तहत पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन के दौरान दिनांक तारीख 01.2.2016 को

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

95/17

मुकर्रर आक्षेपकर्ता के उपस्थित नहीं होने के कारण वादीगण का वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया। वादीगण को जानकारी में आते ही उक्त आवेदन पत्र पेश किया गया। जो आवेदक का मूल वाद प्रारम्भिक स्टेज पर खारिज किये जाने के कारण न्यायहित में एक सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने वकील आवेदक की बहस पर गौर किया और मूल वाद प्रकरण संख्या 29/2013 पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे पाया कि वादीगण की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अ. के तहत विवादित भूमि में खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का पेश किया गया। जो न्यायालय में प्रतिवादी के जवाब पर विचाराधीन चल रहा था। कि दिनांक पेशी तारीख 01.2.2016 को वादीगण या आक्षेपकर्ता के न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया। वादीगण का वाद प्रारम्भिक स्टेज

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

पर खारिज किया गया है और वाद की वकील अन्ति विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति में खारिज हुआ था। जो अधिवक्ता द्वारा की गई गलती वादीगण पर थोपी नहीं जा सकती है एवं न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत है, कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए, न की तकनीकी आधार पर। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूलवाद संख्या 29/2013 अनवान सुगन कंवर बनाम प्रार्थीन वगैरा में पारित आदेश दिनांक 01.2.2016 को निरस्त किया जाता है और मूलवाद को पुनः स्थापित किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2019.12.05 13:53:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: